झाँवि झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

संख्या–1549/जे.डी.ए./(2020–21) दिनांक 22 जनवरी 2021

अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

अंसल हाउसिंग लिमिटेड
श्री विजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री दर्शन दयाल अग्रवाल
निवासी– 2F, AHCL, 2nd Floor, अंसल प्लाजा,
सेक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद–201010

स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 290800407 एवं संशोधित 030500112 मौजा पिछोर के आराजी संख्या 397, 398, 399, 400, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 438, 439 एवं 440 पर विकसित अंसल पामकोर्ट, ग्वालियर कानपुर हाईवे, झांसी द्वारा उक्त झांसी योजना के सम्बन्ध में दिये गये प्रपत्र 'अ' 'ब' 'स' एवं 'द' का परीक्षण विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र को स्थल के अनुसार मिलान करने पर विचलन है, जो नियमानुसार स्वीकृत योग्य पाया गया।

शर्ते :–

1. रेरा एवं उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट के नियम व उपनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
2. समस्त जन सुविधायें जैसे– सड़क, पार्क, पानी की पाईप लाईन, सीवर लाईन इत्यादि सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तिरित करना होगा।
3. मानचित्र स्वीकृत के समय विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्राप्त अनापत्ति की शर्तो एवं स्वीकृत मानचित्र की शर्तो का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
4. अग्निशमन विभाग के नियमानुसार सड़को को अवरोध मुक्त एवं रिजर्व रूप में पानी की समुचित व्यवस्था एवं अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता बनाये रखनी होगी, साथ ही अग्निशमन विभाग से क्रियाशीलता प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न है, जिसका पत्रांक नं. T-1/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं पत्रांक नं. एफएस/निरी0–परी0/2021 दिनांक 15.01.2021 है, जिसकी शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. कूड़ा निस्तारण एवं कूड़ा सेग्रियेशन के साथ बायो कूड़ा डिस्पोजल एवं सीवर डिस्पोजल व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से साथ ही पर्यावरण स्वच्छ रखने की व्यवस्था भी विकासकर्ता को स्वंय करनी होगी।
6. भविष्य में नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत कोई भी शुल्क मांग किये जाने पर विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा साथ ही पानी की सरकारी सप्लाई आने पर पानी के कनैक्शन विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।

पूर्णता प्रमाण पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है इनके असत्य पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

अतः आन्तरिक विकास के मद में बैंक गारन्टी संख्या– 0120IGPER001220, UCO Bank, New Delhi को अवमुक्त करने एवं उपरोक्त शर्तो एवं उपबिन्दुओं के अधीन उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(सर्वेश कुमार)
उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

vksk/Lay_Certi_16

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA